(37)

ATTN: NARCOTICS COMMISSIONER
MOST IMMEDIATE

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 650] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931
No. 650] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 815(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के नियम 5 और 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है। ये शर्तें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी तथा जब तक किसी और अधिसूचना से संशोधित न की जाएं, वर्तमान एवं बाकी फसल वर्षों पर लागू होंगी।

1. खेती का स्थान

अफीम पोस्त की विभिन्न किस्मों के विकास या परीक्षण के लिए अथवा अनुसंधान या विकास से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन से भारत में किसी भी स्थान पर अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस विनिर्दिष्ट रूप से स्वापक आयुक्त के अनुमोदन से दिया जा सकता है।

2. अनुसंधान एवं विकास के लिए लाइसेंस के उद्देश्य से जिला अफीम अधिकारी

अनुसंधान एवं विकास के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस क्षेत्राधिकारी जिला अफीम अधिकारी (डी.ओ.ओ.) द्वारा दिए जाएंगे तथा जो स्थान किसी भी डी.ओ.ओ. के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, लाइसेंस जारी करने के लिए स्वापक आयुक्त द्वारा किसी अधिकारी को डी.ओ.ओ. के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा।

3. पात्रता

नीचे खण्ड (4) में सूचीबद्ध शर्तों के अधीन इस अधिसूचना के तहत लाइसेंस के लिए निम्नलिखित पात्र होंगे :

(i) भारत में कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान।

(ii) कोई कम्पनी जो विश्व में कहीं भी अफीम पोस्त की खेती अथवा अफीम के क्षारोद उत्पादन में लगी है।

(iii) कोई अन्य कम्पनी या संगठन जिसने इस उद्देश्य से किसी सरकारी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से समझौता ज्ञापन किया हो।

4. लाइसेंस की शर्तें

(i) कोई भी जारी लाइसेंस केवल एक साल के लिए वैध होगा।

(ii) लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, लाइसेंसी किए जाने वाले प्रयोगों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएगा।

(iii) प्रत्येक लाइसेंसी को लाइसेंस दिया गया अधिकतम क्षेत्र एक या एकाधिक स्थानों पर 10 हेक्टेयर होगा।

(iv) कोई कम्पनी/अनुसंधान संस्थान जो 2009-10 के दौरान अपनी भूमि पर नहीं बल्कि दूसरों से पट्टे पर ली गई भूमि पर अफीम पोस्त की खेती करता है, भू-खण्ड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या सहित स्वापक आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में देगा।

13 Nov 2009 15:35 P.V.Subba Rao, Dy. Secret 23092686 p.2
13-NOV-2009 14:31 P.02

36

(v) प्रयोगों के अंत में लाइसेंसी, स्वापक आयुक्त को अपने निष्कर्षों एवं परीक्षण परिणामों की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

(vi) लाइसेंसी अफीम गोंद, पोस्त भूसा या सांद्रित पोस्त के नमूने देगा जिसे वह कारखानों के मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत कर सकता है।

(vii) मौसम के बाद, लाइसेंसी प्रयोगों के दौरान उत्पादित अफीम गोंद या पोस्त भूसा या सांद्रित पोस्त भूसे का अप्रयुक्त भाग स्वापक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से किसी भी तरीके से निस्तारित करेगा।

(viii) लाइसेंसी लाइसेंस के निबंधनों एवं शर्तों तथा स्वापक आयुक्त द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों से बंधा होगा।

[फा. सं. एन-14011/4/2009/एन.सी.-1]

विमला बक्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 815(E).—In pursuance of rules 5 and 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the following general conditions for grant of licence for cultivation of opium poppy for research and development. These shall come into force with immediate effect and shall apply to the current and future crop years unless modified through another notification.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licenced at any place in India specifically approved by the Narcotics Commissioner for the purpose of developing or testing various cultivars of opium poppy or for any other purpose related to research or development.

2. District Opium Officer for the purpose of licences for research and development

Licences for cultivation of opium poppy for research and development shall be issued by the jurisdictional District Opium Officer (DOO) and in places not falling under the jurisdiction of any DOO, any officer may be designated by the Narcotics Commissioner as DOO for the purpose of issue of licences.

3. Eligibility

Subject to the conditions listed in clause (4) below, the following shall be eligible for a licence under this notification :

(i) Any Government University or research institute in India.

(ii) Any company engaged in cultivation of opium poppy or production of alkaloids of opium anywhere in the world

(iii) Any other company or organization which enters into an MoU for this purpose with the Government University or research institute.

4. Conditions of licence

(i) Any licence issued shall be valid only for one year.

(ii) While applying for a licence, the licencee shall provide full details of the experiments to be conducted.

(iii) The maximum area that can be licenced per licencee per location shall be 10 ha. in one or more locations.

(iv) Any company/research institute which cultivates opium poppy during 2009-10 not on their own land but on the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

(v) The licencee shall, at the end of the experiment, submit a copy of his findings and test results to the Narcotics Commissioner.

(vi) The licencee shall provide samples of the opium gum, poppy straw or concentrate of poppy straw that he may produce to the Chief Controller of Factories.

(vii) After the season, the licencee shall dispose of the unused portion of the opium gum or poppy straw or concentrate of poppy straw produced during the experiments in any manner with the prior approval of the Narcotics Commissioner.

(viii) The licencee shall be bound by the terms and conditions of the licence and any instructions issued in this regard by the Narcotics Commissioner from time to time.

[F. No. N. 14011/4/2009-NC-1]

VIMLA BAKSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054